न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/38/2021

1—प्रभूदयाल ।
2—भीमसिंह । पिसरान हुकम जाति माली निवासी पीपलखेडा तहसील पहाडी
3—रतनसिह । जिला भरतपुर

.......प्रार्थी0

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं भूप्रबन्ध तहसीलदार पहाड़ी
2—नेमसिंह पुत्र यादराम जाति माली निवासी पीपलखेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री संजय गोयल बाबत प्रकरण प्रभूदयाल बनाम सरकार नं.2020 अन्तर्गत धारा 54 भू—राजस्व अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 6—7—2022**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया कि एक उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट विचाराधीन है, जिसमें एस.डी.ओ. साहब नजदीकी तारीख पेशी दे रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीयान को दिनांक 8.9.2021 को धमकी दी है कि हमारी उपखण्ड अधिकारी से बात हो गई है, प्रकरण हमारे पक्ष में निर्णय होगा। अप्रार्थी संख्या 2 को एस.डी.ओ.साहब के चैम्बर में बात करते हुये भी देखा है इसलिये प्रार्थी को पूर्ण यकीन है कि उपखण्ड अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी ने प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। एस.डी.ओ. पहाड़ी से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. पहाड़ी से टिप्पणी प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हैं। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

मुन्त. प्रा0/38/2021
प्रभूदयाल वगै0बनाम सरकार वगै.

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ही उसकी बहस शुमार की जावे। इसी प्रकार योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य झूठे व मनगढ़त हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक के कथनो पर गौर किया गया। एस.डी.ओ.पहाडी से प्राप्त टिप्पणी का अध्यन किया गया। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। प्रार्थी ने मौखिक आरोपों के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिसके उसके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी को प्रेषित हो।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर